सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-418 राँची, गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-11/क0च0आ0-16-5/2013 का.-3849-- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 **(**झारखण्ड अधिनियम 16, 2008**)** की धारा 12 की उप धारा **(i)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** कहलाएगी।

(**ii**) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(**iii**) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-5-पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका-(ii) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- "अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

''राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ताक लागू होगा। न्यूनतम अहर्त्ताक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे'';

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्ताक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र0 सं0	**कोटि**	**न्यूनतम अहर्त्ताक**
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत

3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(ख) पत्र-1 - भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) पत्र -2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) पत्र -3- सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) पत्र -2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र -3- सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-7(iv)(क) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।"

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(**vi**) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(x) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अहर्त्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर

वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक समकक्ष एवं अन्य अहर्त्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा। ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"परीक्षा का स्वरूप

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया।

विभागीय संकल्प संख्या 5726 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) नियमावली, 2016 के नियम-10 मुख्य परीक्षा के पत्र-2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा

चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा- उर्दू/ संथाली /बंगला/ मुण्डारी(मुण्डा)/ हो/ खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे।"

8. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(v), 8(i) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है।**

9. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या-325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।**

10. **विभागीय संलेख ज्ञापांक 3765 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 418 -- 50